रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 1995/पौष 27, 1916
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 1995/PAUSA 27, 1916

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना सं. 72

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1995

सं. ई.पी.-41-2/87—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 1995 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम, 1 अप्रैल, 1993 से प्रभावी होंगे।

2. संशोधन के पश्चात् वर्तमान विनियमों को अब निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :—

विनियम 19(1)—सदस्य का लेखा : प्रत्येक सदस्य के लिये, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में, प्रथम खाता रखा जायेगा और जिसे अलग नम्बर दिया जायेगा। ऐसे सभी खाते मुख्यालय में या आंचलिक कार्यालय (यों) अथवा अन्य निगम के कार्यालय(यों) में, निगम द्वारा जैसा निश्चित किया जाए, रखे जायेंगे।

विनियम 20(6)—नामांकन : प्रत्येक नामांकन और सदस्य द्वारा रद्द करने के लिये दिये गये नोटिस की सूचना अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रभारी अधिकारी (जोकि मुख्यालय या आंचलिक कार्यालय में उप प्रबंधक के पद से नीचे का हो, जैसा भी मामला हो) को दी जायेगी तथा यह उस सीमा तक वैध होगी जिस तिथि को अंशदायी भविष्य निधि लेखा के कथित प्रभारी अधिकारी को यह प्राप्त होगी।

विनियम 27—कटौतियां : विनियम 27(3) के नीचे टिप्पणी—आंचलिक प्रबंधक या इस कार्य के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी (जो प्रबंधक के पद से नीचे का न हो) इस शक्ति का प्रयोग श्रेणी-2, 3 और 4 तथा अंचल में विभागी श्रमिकों के संबंध में कर सकेगा।

विनियम 28(1)—फंड में लेखों के भुगतान की पद्धति. विनियम 28(1) में, "सचिव" शब्द को "अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रभारी अधिकारी (जो मुख्यालय या आंचलिक कार्यालय में उप प्रबंधक के पद से नीचे न हो, अथवा जैसा भी मामला हो)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

विनियम 28(3)—फंड में लेखों के भुगतान की पद्धति : विनियम 28(3) में, "सचिव" शब्द को "अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रभारी अधिकारी) जो मुख्यालय या आंचलिक कार्यालय में उप प्रबंधक के पद से नीचे न हो, अथवा जैसा भी मामला हो)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

व्याख्यात्मक ज्ञापन :—न्यासी मण्डल के परामर्श से अंशदायी भविष्य निधि के लेखों के समापन को तत्परता से सुनिश्चित करने के लिये, आंचलिक स्तर पर बहुसंख्यक कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव को विकेन्द्रीकृत करने तथा 1-4-1993 से अंशदायी भविष्य निधि के लाभ ग्राहियों को अंशदायी भविष्य निधि लेखा-स्लिप के समय पर सुगमता से जारी करने के लिये प्रशासनिक निर्णय लिया गया।

2. इस अधिसूचना को पूर्व प्रभाव से जारी करने से ऐसे किसी भी व्यक्ति के हित प्रभावी नहीं होंगे, जो इन विनियमों के अन्तर्गत आता हो।

3. यह खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45(1-ए) के प्रावधान के अधीन जारी किया जाता है।

एम. एन. शर्मा, सचिव

भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1967 के पूर्ववर्ती संशोधनों की सूची

क्रम सं.	शीर्षक	राजपत्र का भाग	अधिसूचना की तारीख
1.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) विनियम, 1967	भाग—3 खंड 4	27-5-1967
2	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1969	—वही—	6-6-1969
3.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1969	—वही—	8-9-1969
4	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1980	—वही—	20-12-1980
5.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (चौथा संशोधन) विनियम, 1982	—वही—	23-1-1982
6.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पांचवां संशोधन) विनियम, 1982	—वही—	28-8-1982
7.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (छठा संशोधन) विनियम, 1983	—वही—	7-5-1983
8.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (सातवां संशोधन) विनियम, 1983	—वही—	27-8-1983
9	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (आठवां संशोधन) विनियम, 1987	—वही—	3-9-1987
10.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (नौवां संशोधन) विनियम, 1988	—वही—	6-7-1988
11.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दसवां संशोधन) विनियम, 1989	—वही—	10-2-1989
12.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1990	—वही—	1-3-1990
13.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990	—वही—	19-4-1990
14.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1991	—वही—	9-8-1991
15.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1992	—वही—	20-2-1992
16.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1992	—वही—	17-11-1992
17.	भा.खा.नि. (अं.भ.नि.) (पहला संशोधन) विनियम, 1993	—वही—	17-06-1993

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION NO. 72

New Delhi, the 17th January, 1995

No. EP. 41-2/87.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Govt., the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) Regulations, 1967 namely:—

1. (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Contributory Provident Fund) (1st amendment) Regulations, 1995.

(ii) These Regulations shall come into force w.e.f. 1st April, 1993.

2. The existing Regulations, after amendment, will now read as under:—

Regulation 19(1)—Member's Account: An individual account for each member shall be maintained in the form prescribed by the Board and allotted a seperate Number. All such accounts shall be maintained at Hqrs. or Zonal Office(s) or any other Office(s) of the Corporation as may be decided by the Corporation.

Regulation 20(6)—Nomination: Every nomination made and every notice of cancellation given by a member, shall be communicated to the Officer Incharge of Contributory Provident Fund accounts (not below the rank of Deputy Manager at Hqrs. or Zonal Office, as the case may be) and to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the aforesaid Officer Incharge of Contributory Provident Fund accounts.

Regulation 27—Deductions : Note below Regulation 27(3): The Zonal Manager or Officer so authorised (not below the rank of Manager) will exercise this power in respect of Category-II, III & IV employees and departmental labour in the Zone.

Regulation 28(1)—Manner of payment of account in the fund: The word "Secretary" to be substituted by "Officer Incharge of Contributory Providend Fund account (not below the rank of Deputy Manager at Hqrs. or Zonal Office as the case may be)" in Regulation 28(1).

Regulation 28(3)—Manner of payment of account in the fund: The word "Secretary" to be substituted by "Officer Incharge of Contributory Providend Fund account (not below the rank of Deputy Manager at Hqrs or Zonal Office as the case may be)" in Regulation 28(3).

Explanatory Memorandum:—An administrative decision was taken on the advise of Board of Trustees to decentralise the maintenance of the Contributory Providend Fund accounts of the majority of the employees at Zonal level to ensure completion of the annual account of Contributory Providend Fund trust expeditously and also to facilitate timely issuance of the Contributory Providend Fund Account slips to the Contributory Providend Fund beneficiaries w.e.f. 1-4-1993.

2. The issue of this notification with retrospective effect does not affect the interest of any person to whom these Regulations may be applicable.

3. This issues under provision of Section 45(1A) of the Food Corporations Act, 1964.

S. N. SHARMA, Secy.

LIST OF PREVIOUS AMENDMENTS TO THE FCI (CPF) REGULATIONS, 1967

Sl. No.	Title	Part of Gazette	Date of Notification
1.	FCI (CPF) Regulations, 1967	Part III Sec. IV	27-05-1967
2.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1969.	-do-	06-06-1969
3.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations. 1969	-do-	08-09-1969
4.	FCI (CPF) (3rd Amendment) Regulations, 1980	-do-	20-12-1980
5.	FCI (CPF) (4th Amendment) Regulations, 1982	-do-	23-01-1982
6.	FCI (CPF) (5th Amendment) Regulations, 1982	-do-	28-08-1982
7.	FCI (CPF) (6th Amendment) Regulations, 1983	-do-	07-05-1983
8.	FCI (CPF) (7th Amendment) Regulations, 1983	-do-	27-08-1983
9.	FCI (CPF) (8th Amendment) Regulations, 1987	-do-	03-02-1987
10.	FCI (CPF) (9th Amendment) Regulations, 1988	-do-	06-07-1988
11.	FCI (CPF) (10th Amendment) Regulations, 1989	-do-	10-02-1989
12.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1990	-do-	01-03-1990
13.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1990	-do-	19-04-1990
14.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1991	-do-	09-08-1991
15.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1992	-do-	20-02-1992
16.	FCI (CPF) (2nd Amendment) Regulations, 1992	-do-	17-11-1992
17.	FCI (CPF) (1st Amendment) Regulations, 1993.	-do-	17-06-1993

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995